संख्या-43/2023/I/294631/003-71-2099-191-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2023

विषय:- एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में टर्शियरी कैंसर केयर सेन्टर (TCCC) की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 के पत्र संख्या-पी0जी0आई0/आर0टी0/TCCC /100/2023, दिनांक 09.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत योजना के अंतर्गत अवमुक्त केन्द्रांश की स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष राज्यांश के रूप में अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि नेशनल प्रोग्राम फार प्रीवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एण्ड स्ट्रोक (NPCDS) के अन्तर्गत एस0जी0पी0जी0आई0 में टर्शियरी कैंसर केयर सेन्टर (TCCC) की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-02/2018/5956/71-2-17-154/2015, दिनांक 08 जनवरी, 2018 द्वारा केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि रू0 11.43 करोड़ अवमुक्त की गयी है, इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या-28/2018/146/71-218-154/2015, दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा धनराशि रू0 7.62 करोड अवमुक्त की गयी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या-T-20015/32/2014-CR दिनांक 24 मई, 2021 द्वारा रू0 3,28,40,000, पत्र संख्या-T-20015 /32/2014-CR दिनांक 24-05-2021 द्वारा रू0 3,94,98, 000 एवं पत्र संख्या-T-20015 /32/2014-CR , दिनांक 24-05-2021 द्वारा रु0 1,12,000 की धनराशि अर्थात प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 7,24,50,000 स्वीकृत किया गया है, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-126/2021 /I/111837/2021-71-2099/191/2021, दिनांक 03.11.2021 द्वारा रू0 01.00 करोड़ (केन्द्रांश) की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत प्रायोजना की लागत रू0 41.50 करोड़ के सापेक्ष अब तक केन्द्रांश की धनराशि रू0 12.43 करोड़ तथा राज्यांश की धनराशि रू0 7.62 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

121/2022/I/217488/ 002-71-2099-191-2021, दिनांक 27 सितम्बर, 2022 द्वारा केन्द्रांश के रूप में रू0 624.50 लाख अर्थात कुल रू0 26.2950 करोड की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- केन्द्रांश एवं राज्यांश से संबंधित विवरण निम्नवत है:-

Rs. in Crore

Particular	Cost of Project	Released GOI Share			Remarks
		2017-2018	2021-2022	2022-2023	
60% Central share	24.90	11.43	7.245	6.225	(राज्यांश मद से निर्गत) जिसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी।
40% State share	16.60	7.62	0	8.98	(राज्यांश मद से निर्गत)
Total	41.50	19.05	7.245	15.205	

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में टर्शियरी कैंसर केयर केन्द्र की स्थापना हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-26-मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयन्त्र में प्राविधानित धनराशि रू0 22.45 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 15.205 करोड़ (रूपये पन्द्रह करोड़ बीस लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1. प्रश्नगत धनराशि का उपयोग टर्शियरी कैंसर केयर सेन्टर स्कीम (TCCC) की गाइड लाइन एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. उपकरणों/सज्जा के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई.टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (Gem) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों की जिम्मेदारी निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जायेगा।
5. अवमुक्त धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य मदों के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है। अन्य किसी कार्य मदों में व्यायावर्तन को वित्तीय अनियमितता समझा जायेगा।
6. वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय.ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/ दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानोंए समय.समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्ययए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
8. प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि स्टेट बैक ऑफ इंडिया के जवाहर भवन शाखा में खोले गये सिंगल नोडल एकाउन्ट (एस0एन0ए0) क्रमांक-40777594161, (केन्द्रीय स्कीम कोड-2035, राज्य स्कीम कोड-यू0पी0-50) में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से आवंटित किया जायेगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,20,50,000 (रुपये पंद्रह करोड़ बीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031051300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में टर्शरी केयर कैंसर केन्द्र की स्थापना (के.60/रा.40-के.) **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/ 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-43/2023/I/294631/003-71-2099-191-2021**, तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवर सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (एनसीडी-।। सेक्शन) भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया केन्द्रांश की अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति कराने का कष्ट करें ।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि केन्द्रांश की धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से आवश्यक समन्वय करने का कष्ट करें ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।